



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रलिस के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), ज़ीरो प्रीमियम, सब्सडी, फसल बीमा

मेन्स के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी नीतलल और हसुकषेप

करक में करुु?

वरुष 2019-20 में फसल बीमा योजना से बाहर नकलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#) में फरल से शामिल हो गई है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

▪ परकलल:

- PMFBY को वरुष 2016 में लॉनक कलल गया तथा इसे कृषल और कसलन कललण मंत्रालय द्वारा प्रशासल कलल जा रहा है ।
- इसने **राष्ट्रीय कृषल बीमा योजना (NAIS)** और संशोधल **राष्ट्रीय कृषल बीमा योजना (MNAIS)** को परवलरतल कर दलल ।

▪ पात्रता:

- अधसूकल कषेतरुु में अधसूकल फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार कसलनुु सहल सभी कसलन कवरेज के ललल पात्र है ।

▪ उददेश्य:

- प्राकृतकल आपदाओु, कलरुुओु और रोगुु या कसलल भी तरह से फसल के खराब होने कल स्थललल में एक वुलपक बीमा कवर प्रदान करना ताकल कसलनुुओु कल आय को स्थरल करने में मदद मलल सके ।
- खेती में नरलतरता सुनशलकलल करने के ललल कसलनुुओु कल आय को स्थरल करना ।
- कसलनुुओु को नवलन और आधुनकल कृषल पदधतललुुओु को अपनाने के ललल प्रुुतसाहलल करना ।
- कृषल कषेतर के ललल ःरण का प्रवाह सुनशलकलल करना ।

▪ बीमा कसलत:

- इस योजना के तहत कसलनुुओु द्वारा दी जाने वाली नरलधारलल बीमा कसलत/प्रीमललम- खरलफ कल सभी फसलुुओु के ललल 2% और सभी रबी फसलुुओु के ललल 1.5% है ।
- वारुषकल वणजुलकलल तथा बागवानी फसलुुओु के मामले में बीमा कसलत 5% है ।
- कसलनुुओु द्वारा भुगतान कल जाने वाली प्रीमललम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतकल आपदाओु के कारण फसल के नुकसान के खललफ कसलनुुओु को पूरल बीमा राशल प्रदान करने के ललल शेष प्रीमललम का भुगतान सरकार द्वारा कलल जाएगा ।
- सरकारी सब्सडी कल कोई ऊपरी सीमा नहीं है । यदल शेष प्रीमललम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन कलल जाएगा ।
 - इससे पहले प्रीमललम दर को सीमलल करने का प्रावधान था जसलके परणलमसवरुु कसलनुुओु को दावुुओु का कम भुगतान कलल जाता था ।
 - यह कैपलल प्रीमललम सब्सडी पर सरकार के खरुक को सीमलल करने के ललल कलल गया था ।
 - इस सीमा को अब हटा दलल गया है और कसलनुुओु को बनल कसलल कटुुती के पूरल बीमा राशल ।

▪ PMFBY के तहत तकनीक का प्रयोग:

◦ फसल बीमा एप:

- यह कसलनुुओु को आसान नामांकन कल सुवधल प्रदान करता है ।
- कसलल भी घटना के घटलल होने के 72 घंरुुओु के भीतर फसल के नुकसान कल आसान रलुुलरुुगल कल सुवधल ।

- नवलनतम तकनीकल उपकरण: फसल के नुकसान का आकलन करने के ललल सैटेलाइट इमेजरी, रमलुुल-सैसगल तकनीक, ड्रुुन, कृतरुुलल बुदधमललता और मशीन लरुुनगल का उपयोग कलल जाता है ।


- **PMFBY पुरुुलल:** भुमरलकलरुुड के एकीकरण के ललल PMFBY पुरुुलल कल शुरुआत कल गई है ।

▪ हाल ही में हुए बदलाव:

- यह योजना पहले ःणी कसलनुुओु के ललल अनवलरुुय थी, लेकनल वरुष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी कसलनुुओु के ललल वैकलुपकल बना दलल

है।

- पहले बर्मांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का वसूला करने के लिये स्वतंत्र थे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत **गैर-सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा कसित की दरों पर केंद्र सरकार की हसिसेदारी को 30% और सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये 25%** तक सीमाति करने का नरिणय लया है। पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नरिधारति नहीं थी।



PMFBY से संबंधति मुद्दे:

- **राज्यों की वतितीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वतितीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
 - राज्य ऐसी स्थतिसे नपिटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनयिँ किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र कयि गए प्रीमियम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।
 - राज्य सरकारें समय पर धनराशजिारी करने में वफिल रही हैं जसिके कारण बीमा क्षतपूरतिजिारी करने में देरी हुई है।
 - इससे किसान समुदाय को समय पर वतितीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही वफिल हो जाता है।
- **दावा नपिटान संबंधी मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और नपिटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
 - ऐसे में बीमा कंपनयिँ की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकिकई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जसि कारण दावों का भुगतान नहीं कयि गया।
- **कार्यानवयन के मुद्दे:** बीमा कंपनयिँ द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दलिचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावति हो सकते हैं।
 - बीमा कंपनयिँ अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशसि करती हैं कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।

आगे की राह

- इस योजना से संबंधति सभी लंबति मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच व्यापक पुनर्वचिार की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मलि सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में नविश करना चाहयि।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में नमिनलिखति कथनों पर वचिार कीजये: (2016)

1. इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के कसि भी मौसम में खेती की जाने वाली कसि भी फसल के लिये दो प्रतशित का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

2. इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात और बेमौसम बारिश), कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई से पूर्व तथा बाद के नुकसान को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
- प्रमुख बंदि
 - सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - वार्षिक वाणजियिक और बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।
 - किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यद्यपि प्रीमियम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 - प्रीमियम की सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशिका भुगतान किया जाएगा।
 - प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिये फसल कटाई के डेटा का एकत्रण और अपलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग किया जाएगा। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-pmfby>

